उद्यमिता : महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

–अमिताभ कांत, नमन अग्रवाल, अनमोल सहगल

आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेज़ी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में उभरते महिला उद्यम न केवल कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी परितंत्र के निर्माण की दिशा में एक आत्मविश्वासपूर्ण कदम है बल्कि नवोदित महिला उद्यमियों के लिए सीखने और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन भी है।

भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है और इस जनसंख्या का 62 प्रतिशत से अधिक भाग 15–59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आता है। भारत के इस जनसांख्यिकीय लाभांश में 15–64 वर्ष के आयु वर्ग में 43 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। इसके बावजूद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का लाभ भारत की विकास गाथा में शामिल नहीं है। वर्ष 2019 के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने में काफी निचले पायदान पर है (चित्र–1)। कार्यबल में दस करोड़ पांच लाख आठ हज़ार छह सौ महिलाओं (चित्र–2) की कुल संख्या को देखा जाए तो 43 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में लगभग 32.9 करोड़ महिलाएं कार्यबल में शामिल नहीं हैं।

भारत के आर्थिक परिणामों ने पिछले एक दशक में स्टार्टअप और नए व्यवसायों में समानांतर वृद्धि के साथ–साथ लगातार विकास दिखाया है। लेकिन महत्वाकांक्षी और अभिलाषी महिला उद्यमी कम अनुकूल परिस्थितियों, मुखर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और विकास जैसे व्यावसायिक संसाधनों की कमी के साथ संघर्ष करती हैं। ये परिस्थितियां न केवल उनके आत्मविश्वास को डिगाती हैं बल्कि उन महिलाओं को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं जो अन्य महिलाओं के समृद्धि और प्रगति की राह पर बढ़ने से प्रेरणा पाने की उम्मीद रखती हैं। वह समाज जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को विकसित नहीं कर पाती हैं, वह नवाचार, आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन की महत्वपूर्ण संभावनाओं को खो देता है।

महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्रतिबद्धता 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के लिए गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने पर केंद्रित है और इसने महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। समावेशी और सतत विकास के केंद्र में महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है और उसी के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

आने वाले दशक में भारत में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी एक अरब से अधिक होगी जो दुनिया में सर्वाधिक होगी। यह जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ती हुई शिक्षित आबादी के साथ जुड़ने पर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास प्रक्षेप पथ को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आवश्यक रोज़गार पैदा करने में अकेले निजी और सरकारी क्षेत्र पर्याप्त नहीं होंगे। इसके समग्र समाधान हेतु महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों का सृजन एक महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल रोज़गार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम भी प्रदान करेगा।

मैकिन्से की जेंडर पैरिटी (लैंगिक समानता) रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि यदि भारत लैंगिक असमानता को दूर करने में सक्षम है तो हम सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 770 बिलियन डॉलर जोड़ सकते हैं जो सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक के बराबर होगा। इस दूरदर्शी लेकिन यथार्थवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में आकांक्षी महिला उद्यमियों की स्थिति और बाधाओं को समझने की आवश्यकता है। साथ ही, हाल ही में सरकार की विभिन्न पहलों और महिलाओं को श्रमबल बाज़ार में लाने के प्रयासों को महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तनकर्ताओं के ध्यान में लाना महत्वपूर्ण है। यह लेख महिला उद्यमिता के परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए इस दृष्टिकोण को संदर्भ में लेता है और उन महिलाओं की महत्वपूर्ण प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का भी वर्णन करता है जो अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रख रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी विकास का उत्प्रेरक है और उनकी भागीदारी दर किसी देश के और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता को इंगित करती है। महिला श्रमबल भागीदारी और सामाजिक/आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध वर्णित किए जाने की तुलना में परोक्ष रूप से कहीं बहुत अधिक सानुपातिक हैं। यह सुझाया गया है कि यदि भारत महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार करके लैंगिक समानता अंतर को पाट पाता है तो वह अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18 प्रतिशत (लगभग 770 बिलियन अमरीकी डालर) जोड़ सकता है।

चित्र–3 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल में महिला श्रमबल की भागीदारी का रुझान दिखाता है। इससे स्पष्टतः समझा जा सकता है कि यह भागीदारी 2005 में 31.79 प्रतिशत से लगातार गिरकर 2019 में 20.79 प्रतिशत हो गई है जबकि श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी दर का वैश्विक औसत 2018 में 48.5 प्रतिशत था। 1990 से 2005 के बीच एक स्थिर दर होने का कारण यह है कि जो महिलाएं गरीबी के कारण बेहद कम वेतन वाली निम्न दर्जे की नौकरियां करने पर मज़बूर थीं, वे उन नौकरियों को छोड़ चुकी हैं क्योंकि पुरुष श्रमबल की भागीदारी के कारण संभवतः उनकी कुल घरेलू आय में वृद्धि हो गई होगी।

लंबी अवधि के रुझानों ने सुझाया है कि भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी दर हैरान करने वाली रही है। महिला भागीदारी दर 1999–2000 में 34.1 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 27.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नताएं आई हैं। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2009–10 में 26.5 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 25.3 प्रतिशत हो गई जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गई। भारत में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण को अभी और अधिक महिलाओं को श्रमबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना बाकी है। ग्रामीण रोज़गार कम हो रहे हैं और ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करने लग गई हैं। महिला श्रमबल भागीदारी दर में 131 देशों में भारत 120वें स्थान पर है और लिंग–आधारित हिंसा की दर असंतोषजनक रूप से उच्च बनी हुई है।

चित्र–1 : 2019 में श्रमबल भागीदारी दर, महिलाएं (15–64 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)

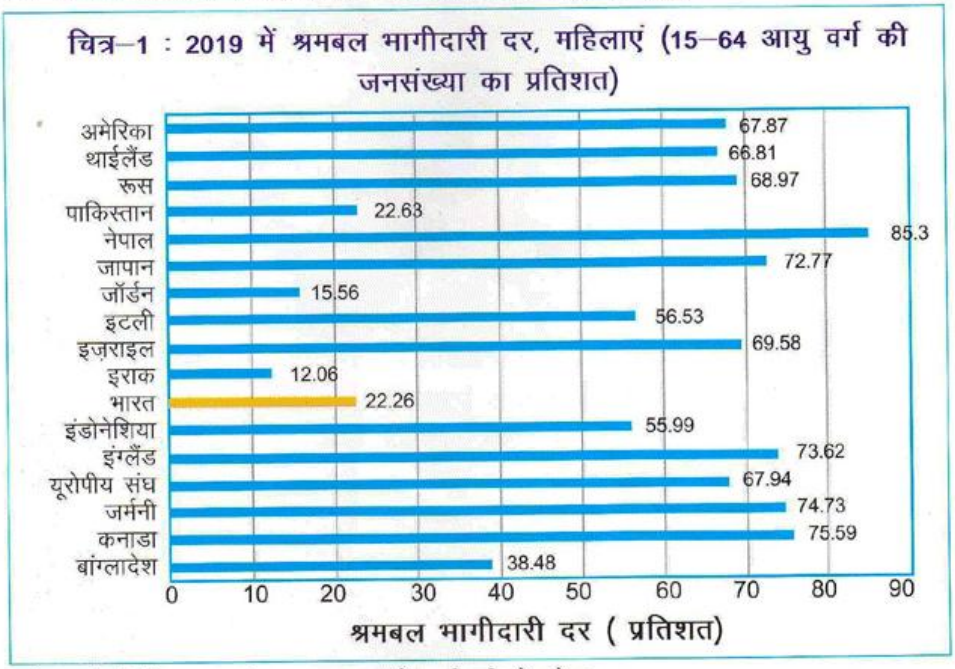

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आइएलओएसटीएटी डेटाबेस

जब देश की आधी आबादी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में भाग नहीं ले रही हो तब समावेशी और स्थिर भविष्य की कल्पना करना मुश्किल है। विश्व में आ रही गिरावट के रुझान से भारत को अलग करने वाली एक ऐसी खास बात यह है कि तुर्की को छोड़कर सभी ने महिला श्रमबल की भागीदारी के उच्च स्तर औसत लगभग 58 प्रतिशत के साथ शुरुआत की थी।

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी दर में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनका

सामाजिक दायित्व है। सांस्कृतिक मानदंडों के कारण नियमित घरेलू कार्यों की बड़ी ज़िम्मेदारी महिलाओं की होती है जिससे महिलाओं की आकांक्षाएं और क्षमताएं मुखर नहीं हो पाती हैं। 2014 के ओडब्ल्यूआईडी (आवर वर्ल्ड इन डाटा) के आंकड़ों के अनुसार भारत का अवैतनिक देखभाल के कार्य में लगाए गए समय का महिला–पुरुष अनुपात 9.83 है जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इन आंकड़ों की तर्ज पर 2017–18 में 15–59 आयु वर्ग की 62.1 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न थीं।

चित्र–2 : वर्ष 2019 के लिए श्रमबल आबादी, महिला (15+ आयु)

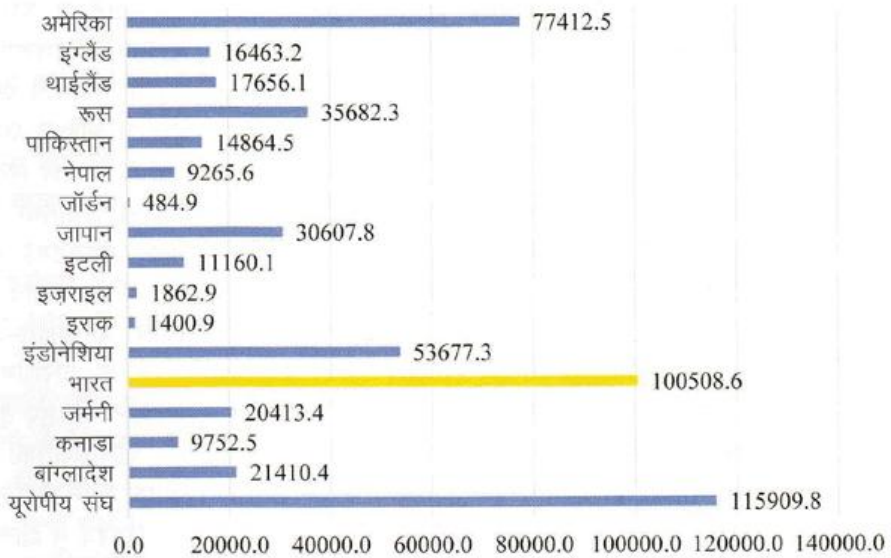

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के साथ–साथ सामाजिक परिवेश में व्यक्तिगत पहचान बनाने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उद्यमिता, स्वरोज़गार और लघु और सूक्ष्म व्यवसाय रोज़गार की इच्छुक महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका प्रमाण है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में अधिक महिलाओं को काम पर रखने की प्रवृत्ति होती है और इसलिए महिला उद्यमिता समुदाय में व्यापक रूप से रोज़गार पैदा करने में एक गुणक प्रभाव पैदा करती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के अलावा उद्यमिता संपत्ति के स्वामित्व और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर बनाती है। उद्यमिता परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी के कई लाभ हैं जिसमें वह विस्तार प्रदान करना भी शामिल है जो आजीविका अर्जित करने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से हासिल होता है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीईपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। कई राज्य सरकारें, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संस्थाएं और नागरिक समाज संगठन भी अपनी पहल कर रहे हैं। फिर भी इस परितंत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी न्यूनतम बनी हुई है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से केवल 14 प्रतिशत या 8.05 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं; 2018 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को भुनाने की महिला उद्यमियों की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52 वें स्थान पर था। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से लैंगिक अंतर को पाटने और महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिल सकती है।

आकांक्षी महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका अपरिहार्य है। आजकल महिलाएं चुनिंदा व्यवसायों के अलावा व्यापार, उद्योग और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों में भी कदम रख रही हैं। महिलाएं भी व्यवसाय करने और देश के विकास में योगदान देने की इच्छुक हैं। उनकी भूमिका को भी मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले दशक में महिला ई–हाट और स्टैंडअप इंडिया जैसे संस्थागत प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि महिलाओं की पूंजी, बाज़ारों और सलाहकारों तक पहुंच को सक्षम करके उन्हें भारत के उद्यमशीलता परितंत्र का सक्रिय हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन गहरी पैठ जमाई हुई सामाजिक–सांस्कृतिक अपेक्षाएं प्रणालीगत अवरोध बन जाती हैं जिससे महिला उद्यमियों की भागीदारी अपेक्षा से कम होती है।

ऋण तक पहुंच : इसके अतिरिक्त उद्यम संबंधी उपक्रमों से जुड़े जोखिम आकांक्षी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ऋण मांगते समय पूर्वाग्रहग्रस्त धारणाओं से निपटना पड़ता है। एक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती है और संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक अंतर और पर्याप्त बचत की कमी अक्सर महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना देती है।

घरेलू ज़िम्मेदारियां : अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाएं अभी भी पूर्व–निर्धारित लिंग भूमिकाओं के ढांचे के भीतर काम कर रही हैं जिसके अनुसार उनकी एकमात्र ज़िम्मेदारी घरेलू कामकाज और आश्रितों की देखभाल है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के अनुसार औसत भारतीय महिला प्रतिदिन लगभग छह घंटे अवैतनिक काम करती है जबकि पुरुष एक घंटे से कम (52 मिनट) काम करता है। घर के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी अकेले महिलाओं की होती है जबकि एक क्रियाशील उद्यम चलाने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा हमेशा संभव नहीं होती है जिससे महिलाओं को इस क्षेत्र में कदम रखने में संदेह और हिचकिचाहट होती है।

लैंगिक पूर्वाग्रह : महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए निवेश के क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों की छिपी प्रवृत्ति सबसे गंभीर है। महिला उद्यमी अक्सर निवेशकों से संपर्क करने से हिचकिचाती हैं। जब कभी महिलाएं निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तो समान विषय होने के बावजूद निवेशकों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता देते पाया गया है।

सूचना विषमता : एक अन्य प्रमुख चुनौती सूचना विषमता है जो महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और सहायता तक पहुंच की कमी को बढ़ाती है। व्यापार जगत के लिए सीमित अनुभव उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा वाली महिलाओं को कमज़ोर बनाता है और इस क्षेत्र में सफल होने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है। विधिवत प्रशिक्षण की कमी और परिणामस्वरूप अपर्याप्त कौशल हासिल करने के कारण आत्मविश्वास में कमी केवल बढ़ती ही है।

रोल मॉडल की कमी : साथ ही रोल मॉडल की कमी भी है जो आकांक्षी महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को सीमित करती है और उन्हें सफलता उनकी पहुंच से बाहर लगती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सफल रोल मॉडल की मौजूदगी रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करने और परिवर्तन लाने का कारण बनती है। इस कमी को भारतीय परितंत्र में युवा महिलाओं के बीच "उद्यमी" भावना के बाधित विकास के रूप में महसूस किया जा सकता है।

चित्र–3 : भारत में श्रमबल भागीदारी दर, महिलाएं (15+ आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)

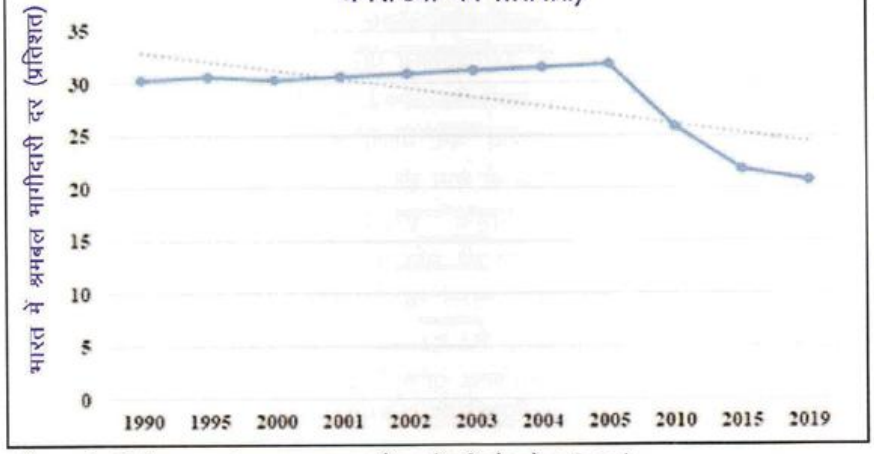

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आइएलओएसटीएटी डेटाबेस (2021)

इनमें से कुछ प्रणालीगत बाधाओं को जानने के बाद भारत सरकार ने देशभर में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ में महिला उद्यमिता को समर्पित स्टार्टअप इंडिया वर्टिकल, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की कौशल प्रदान करने की पहल 'महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण' और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद का विशेष प्रावधान शामिल है। हालांकि इन प्रयासों के अलग–अलग कार्यान्वयन और सीमित अंतर–विभागीय संपर्क के परिणामस्वरूप कई संभावित लाभार्थी इन पहलों से अनजान बने हुए हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की चुनौतियों को समग्र रूप से हल करने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है जो उद्यमशीलता के परिदृश्य में ज्ञान और संसाधनों को एकजुट करके महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सकता है। लेकिन भारतीय इकोसिस्टम में ऐसी स्थिति/सहायता के माध्यम का अभाव था जो महिला उद्यमियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों के साथ–साथ प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रदान कर सकें।

उद्यमिता में लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटने में नीति आयोग की भूमिका

महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता के गुणों और कौशल के साथ सही ढंग से ढाला जाना चाहिए ताकि वे रुझानों में आने वाले बदलावों से भली–भांति निपट सकें, वैश्विक बाज़ारों को चुनौती देने में समर्थ हो और उद्यमशीलता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो।

महिला उद्यमिता इकोसिस्टम के सर्वेक्षणों और फीडबैक से प्राप्त आंकड़ों के आकलन और विश्लेषण के आधार पर प्रमुख सहायक क्षेत्रों की पहचान की गई। इन्हें छह समानांतर कार्यधाराओं में विकसित किया गया है। इन धाराओं को इस तरह से क्यूरेट किया गया है ताकि बड़े उद्देश्य अर्थात् इकोसिस्टम में सहयोग सुगम बने, सूचना विषमता दूर हो, क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुविधाजनक बनें, बड़े इकोसिस्टम के लिए रोल मॉडल्स का सृजन हो और इन छह कार्यधाराओं में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा सकें।

- **समुदाय और नेटवर्किंग :** महिला उद्यमियों का एक मज़बूत नेटवर्क तैयार करना जो प्रमुख साझेदारियों को सक्षम करके सहायता, सीखने, सहयोग और सलाहकारिता के एक परितंत्र को सक्षम कर सके, महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (डब्ल्यूईपी) उद्यमियों को उनकी आकांक्षाओं को

साकार करने, नवाचार का उन्नयन (स्केल–अप) करने और उनके उद्यमों के लिए दीर्घकालिक और स्थिर रणनीतियां तैयार करने में मदद करता है।

- **अनुपालन और कर सहायता** : कराधान, लेखा परीक्षा, व्यवसाय लाइसेंसिंग और विनियमों से जुड़े संसाधनों के लिए नॉलेज पार्टनरों का लाभ उठाना।
- **उद्यमी कौशल और परामर्श** : नवाचार और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उद्यमशीलता और प्रबंधन कौशल प्रदान करना।
- **वित्तपोषण और वित्तीय सहायता** : वित्तपोषण के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उद्यमों के लांच और विस्तार के लिए वित्तीय प्रबंधन।
- **इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन** : स्टार्टअप्स और शुरुआती चरण की कंपनियों के विकास में तेज़ी लाने के लिए महिलाओं को इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन प्रोग्राम से जोड़ना।
- **विपणन सहायता** : महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार उपस्थिति में सुधार करने में मदद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) एक ऐसा कार्यक्रम है जो नीति आयोग द्वारा नवोदित और मौजूदा उद्यमियों को उनके नवाचार अभियानों में समर्थन देने की दिशा में शुरू किया गया है। एआईएम भारत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आकांक्षी ज़िलों के साथ–साथ टियर 1 शहरों में अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) और टियर 2/3 शहरों में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय इनक्यूबेटर बना रहा है। इनक्यूबेशन सेंटर न केवल स्टार्टअप्स को उनके विचारों के उन्नयन में मदद करता है बल्कि उन्हें समग्र विकास और समझ प्रदान करता है। अटल इनोवेशन मिशन इन एआईसी और एसीआईसी को देश भर में विश्व–स्तरीय इनक्यूबेशन सुविधाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, जिसमें उनके इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को पूंजीगत उपकरण और परिचालन सुविधाओं से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ–साथ परामर्श के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की उपलब्धता शामिल है। अधिकांश स्थापित एआईसी और एसीआईसी विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, स्वच्छता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र–विशिष्ट हैं और इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार के सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स में से कई भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं द्वारा सगर्व चलाए जा रहे हैं। उनमें से एआईसी द्वारा इनक्यूबेटेड महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्टार्टअप की सफलता की कहानी नीचे वर्णित है;

के–नॉमिक्स टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड : के–नॉमिक्स टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक गैर–सरकारी कंपनी है जिसे बेंगलुरू में 30 दिसंबर, 2013 को सम्मिलित किया गया था। स्टार्टअप को अमृता टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर में इनक्यूबेट किया गया है। सुश्री कलैवानी चित्तरंजन और सुश्री सस्मिता बेबोर्था इसकी प्रबंध निदेशक हैं। दोनों को व्यवसाय प्रबंधन और परियोजना निष्पादन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 'मिंटबुक' की अवधारणा की जो व्यक्तिगत डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थिओं को सीखने के संसाधनों तक सरलतम पहुंच उपलब्ध कराने का एक अभिनव तरीका है। कंपनी को इंडो–यूएसएसटीएफ द्वारा एक अभिनव समाधान के रूप में मान्यता दी गई थी और 2014 में टीआईई–सिलिकॉन वैली, कैलिफ़ोर्निया, यूएसए में शामिल किया गया था। मिंटबुक वॉलमार्ट कोहोर्ट 3.0, एडुप्रेन्योर 1.0 टॉप 3, अमृता इनक्यूबेशन का भाग थी और 2019 में पिचफेस्ट विजेता थी। मिंटबुक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नास्कॉम, नई दिल्ली द्वारा 2019 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर (प्रौद्योगिकी) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

एआईएम एक चुनौती–आधारित कार्यक्रम भी चलाता है जिसे अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कहा जाता है। एएनआईसी एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुदान–आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों के आधार पर उत्पाद/समाधान तैयार करने के लिए नवप्रवर्तकों की सहायता करना है। एएनआईसी का पूर्व निर्धारित उद्देश्य व्यावसायीकरण के संदर्भ में गूढ़ प्रौद्योगिकी संचालित उत्पादों के लिए बाज़ारों और खरीदारों की खोज में मदद करना है। क्षमता, परम ध्येय और प्रौद्योगिकियों को उत्पादों में परिवर्तित करने में सक्षम होने का वचन देने वाले आवेदकों को सिर्फ और सिर्फ निर्धारित अवधियों में कार्य की सफल प्रगति के आधार पर ही एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया गया है। एएनआईसी पहल के माध्यम से रची गई महिला उद्यमियों की कुछ सफलता की कहानियों का विवरण नीचे दिया गया है;

बायोप्राइम एग्रीसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड : यह पुणे में स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नेतृत्व डॉ रेणुका करंदीकर कर रही हैं। यह लक्षित फिज़ियोलॉजी मॉडुलेटिंग बायोमोलेक्यूल्स का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, कीड़े–मकोड़ों और विनाशकारी कीटों के खिलाफ फसलों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। उनके पास स्मार्ट नैनोमोलेक्यूल्स इंड्यूस्ड फिज़ियोलॉजिकल रिस्पांस (एसएनआईपीआर) द्वारा इस समस्या का एक अनूठा समाधान है। एसएनआईपीआर विशिष्ट बिंदुओं पर इन प्रक्रियाओं को लक्षित करने और उन्हें परिवर्तित करने का एक अनूठा तरीका है। उनके प्रौद्योगिकी उद्यम को वेंचर सेंटर, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, पूसा, आईएआरआई (भाकृअस), रिसर्च एंड इनोवेशन सर्किल ऑफ़ हैदराबाद (आरआईसीएच), तेलंगाना सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। उन्हें फिक्की, सिस्को, डीपीआईआईटी जैसे अन्य प्लेटफार्मों पर विभिन्न अनुदानों और सम्मानों से भी नवाज़ा गया है।

प्रोक्सिमल सोइल्सेंस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेडः आईआईटी, बॉम्बे में प्रोफेसरों द्वारा सह–निर्मित सुश्री राजुल पाटकर के नेतृत्व में यह स्टार्टअप महाराष्ट्र स्थित उद्यम है। ये इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आइओटी) सक्षम मृदा निगरानी प्रणालियों के माध्यम से फसल की उपज में सुधार के लिए समाधान बनाने पर काम करते हैं। स्टार्टअप ने एआई (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) और एमएल (मशीन लर्निंग) के माध्यम से पौधों में बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए माइक्रो/नैनो सेंसर पर आधारित स्मार्ट सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये उत्पाद क्लाउड और फोन एप्लिकेशन पर डेटा भेजने के लिए इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आइओटी) तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग फिर किसान करते हैं। इसके अलावा, एआईएम, नीति आयोग द्वारा दिए गए वित्तपोषण से हार्डवेयर में सुधार लाया जा रहा है। किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें अतिरिक्त सेंसर और विभिन्न फसलों के लिए निर्णय सहायक प्रणाली जोड़ी जा रही है। उन्हें विन फाउंडेशन, बाइरैक, आईआईटी बॉम्बे से भी सहायता मिली है।

प्रिस्टेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड : सुश्री शंपा चौधरी और उनकी टीम ने बेंगलुरु स्थित अपने स्टार्टअप के माध्यम से क्वांटम कम्प्यूटेशंस पर तेज़, सुरक्षित और हरित ट्रांज़िट नेटवर्क्स बनाए हैं और उनका अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) प्रतियोगिता के लिए प्रदर्शन किया है। इसके लिए वे शहर, उद्यमों और ऑपरेटरों के साथ साझेदारी करते हैं जिससे शहरी और परिवहन नीतियां प्रेरित हों और लोगों को मल्टी–मॉडल ट्रांज़िट नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा मिले। वर्तमान में उन्होंने तीन शहरों (सूरत, कोलकाता और पुणे) में प्रायोगिक तौर पर काम किया है और 4+ शहरों (वाराणसी, वड़ोदरा, भोपाल और भुवनेश्वर) को ऑनबोर्ड किया है। उन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और कई शहरों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सिस्को, एलएंडटी, बीईएल फोर्ड आदि के साथ रणनीतिक साझेदारी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए करार किया है।

सामाजिक क्षेत्र में उभरते महिला उद्यम न केवल कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी परितंत्र के निर्माण की दिशा में एक आत्मविश्वासपूर्ण कदम है बल्कि नवोदित महिला उद्यमियों के लिए सीखने और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन भी है।

निष्कर्ष और भावी पहल

यह कहा जा सकता है कि आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय आबादी का लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस समय महिलाओं को उद्यमिता जागरूकता, अभिविन्यास और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को भी मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सुझावों से यह स्पष्ट है कि एक ही क्षेत्र में विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न हितधारकों, अर्थात् सरकार, वित्तीय संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक संस्थानों, मौजूदा महिला उद्यमियों से बहुआयामी कार्य पद्धतियों की आवश्यकता है और साथ ही पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों से लचीले– एकीकृत और समन्वित विशेष दृष्टिकोण की भी।

महिलाओं में उद्यमिता विकसित करने का प्रमुख कारक बुनियादी ढांचा या वित्तीय सहायता या उद्यम के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है बल्कि यह उद्यमिता में उनके प्रविष्ट होने के मार्ग को प्रशस्त करने का मसला है। सदियों से वे एक गौण भूमिका निभाने और घरों तक ही सीमित रही हैं। अब समय है जब उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी उद्यमी बन सकें।

यद्यपि उद्यमियों के रूप में महिलाओं के उद्भव में योगदान देने वाले कई कारक हैं पर सभी क्षेत्रों से निरंतर और समन्वित प्रयास महिलाओं को उद्यमशीलता की गतिविधियों में आगे कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे परिवार के सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा और वे समाज में समानता और समान महत्व की हक़दार बन सकेंगी।

(अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ई–मेल : amitabh.kant@nic.in; नमन अग्रवाल नीति आयोग में वरिष्ठ एसोसिएट हैं; ई–मेल : naman.agrawal@nic.in; अनमोल सहगल, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं, ई–मेल : anmolsehgal.aim@nic.in लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं।)